

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

दीर्घासीन अधिकारी : श्री हरदयाल खसरा रागव RAS

प्रकरण संख्या 70/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

रामनिवास डी. रामपाल लोहार कौशिकि. रघुनाथपुरा
- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

पद्मा डी डी राजा लोहार कौशिकि. रघुनाथपुरा
- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री हरदयाल खसरा
रामनिवास डी रामपाल

दिनांक 25-9-19

निर्णय

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1023, 1024, 1026, 1027, 1021, 1022, 1028, 1029

कुल किता 6 रकबा 0.84 हैक्टर का

प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाविन्द नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रघुनाथपुरा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदाही/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 6 रकबा 0.84 हैक्टर की पुष्ट्या पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में दिवाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 2000 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25-9-19 को सरे इजलास सुनाया गया



हरदयाल खसरा अधिकारी एवं
आर०ए०एस०
जिला कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिनिधि-तहसीलदार, शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

हरदयाल खसरा अधिकारी एवं
पदायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)